न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 111/2018/अपील

लीलाराम पुत्र बोदुराम जाति चेजारा निवासी वार्ड नं. 21 छावनी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र श्री नारायण जाति बलाई निवासी वार्ड नं. 7, कुडी का मौहल्ला, तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0
2. ताराचन्द पुत्र श्री बोदुराम जाति चैजारा निवासी वार्ड नं. 21 छावनी तह0 नीमकाथाना जिला सीकर राज0

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 23.07.2018 मुकदमा नम्बर 1/18 अनुवानी राजेन्द्र प्रसाद बनाम ताराचन्द आदि अन्तर्गत धारा 183(बी)

वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार सरोज
वकील रेस्पोडेंट श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः—10.07.2019**

संक्षेप में अपील में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नं. 868 रकबा 1.90 है0, खसरा नं. 968 रकबा 2.02 है0, वाके राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्ढोली तह0 नीमकाथाना जिला सीकर की तन मे अवस्थित है। अपीलान्ट की भूमि खसरा नं. 705 रकबा 1.06 है0, जिसके नये खसरा नं. 851 रकबा 1.06 है0, राजस्व ग्राम चला की ढाणी पटवार हल्का मण्ढाली तह0 नीमकाथाना जिला सीकर मे अवस्थित है। इस भूमि की खातेदारी अमरचन्द, ताराचन्द, लीलाराम पिता बोदू जाति कुम्हार के नाम से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। अपीलान्ट उक्त भूमि पर कदीम से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलान्ट का रेस्पो0 सं. 1 की भूमि खसरा नं. 868, 968 पर कोई कब्जा नही है। पटवारी हल्का द्वारा बिना मौके पर गये व जांच किये ही उक्त गलत रिपोर्ट तैयार की गई है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना के समक्ष अपीलाधीन आवेदन 183 बी राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया, जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से दिनांक 23.7.18 को स्वीकार कर आदेश दिया कि राजस्व ग्राम चक चारावास के भूमि खसरा नं. 868 रकबा 1.90 है0 तथा खसरा नं. 968 रकबा 2.02 है0 में प्रार्थी का हिस्सा 20/202 है0 भूमि का सीमाज्ञान कर अप्रार्थीगणों को मौके से बेदखल कर सम्बन्धित खातेदारान को कब्जा सम्भलावें। विवादित भूमियों की खातेदारी रेस्पो0 सं. 1 के अलावा अन्य व्यक्तियो के नाम से भी दर्ज है जबकि अपीलाधीन आवेदन अकेले रेस्पो0 सं. 1 के द्वारा ही पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 द्वारा खसरा नं. 868, 968 पर किसी भी प्रकार का कोई कब्जा नही किये जाने बाबत अंकन किये जाने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट

की उपस्थिति में बिना कोई जांच करवाये बेदखल किये जाने का आदेश दे दिया गया। पटवारी रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे तैयार किये जाने के कारण अपीलान्ट अपना पक्ष नही रख सका। इस कारण उक्त रिपोर्ट अपीलान्ट के प्रति शुन्य है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 22.06.2018 को जांच किये जाने पर ताराचन्द पुत्र बोदूराम व लीलाराम पुत्र बोदूराम को अतिक्रमण कर काश्त किये जाने का कथन उक्त रिपोर्ट मे किया गया है। अपीलान्ट उक्त भूमि के कौनसे हिस्से पर व कितने क्षैत्रफल मे काबिज था, इस बारे मे कोई अंकन रिपोर्ट मे नही है। पटवारी रिपोर्ट मे खसरा नं. 868 व 968 की सीमाओं का भी अंकन नही किया हुआ है एवं फर्द मौका रिपोर्ट पर किसी भी गवाह के कोई हस्ताक्षर नही है। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट शुन्य होने एवं विधिविरूद्ध तरीके से तैयार किये जाने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई निष्पक्ष जांच करवाये उक्त साजसी तौर पर तैयार की गई पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा राजस्व टीम गठित कर मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति मे करवाये जाने हेतु जवाब मे अंकन किये जाने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर कोई गौर नही किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2018 निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि हमारी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 705 रकबा 1.06 है0 व खसरा नम्बर 851 रकबा 1.06 है0 ग्राम चला की ढ़ाणी तहसील नीमकाथाना में अवस्थित है एवं उक्त भूमि पर हम काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेस्पो. संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 868 रकबा 1.90 है0 व खसरा नम्बर 968 रकबा 2.02 है0 ग्राम चला की ढ़ाणी पर हमारा कोई कब्जा नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट में केवल मात्र अपीलांट का अतिक्रमण होने व काश्त करना अंकित किया है जबकि विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट का किसी भाग पर कितना अतिक्रमण है इस सम्बंध में किसी प्रकार की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2018 निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 1.90 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 968 रकबा 2.02 है0 में से हि. 20/202 ग्राम चला की ढ़ाणी का राजेन्द्र कुमार वर्मा (रेस्पो. संख्या 1) रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अपीलांट द्वारा विवादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत अपील में भूमि खसरा नम्बर 868, 968 पर अपीलांट का किसी प्रकार का कब्जा नहीं होने बाबत अंकित किया हुआ है। विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट का किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है तो अपील अपीलांट स्वतः निरस्त होने योग्य है। विवादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि है जिस पर अपीलांट के विरूद्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली आदेश स्थिर रहने योग्य है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22.06.2018 में अंकित किया गया है कि "खसरा नम्बर 868 व 968 के सम्बंध में मौके पर लोगो से पूछताछ की गयी जिसमें इस भूमि पर ताराचन्द पुत्र बोदुराम कौम चेजारा व लीलाराम पुत्र बोदुराम कौम चेजारा ने अतिक्रमण कर इस भूमि पर काश्त कर रहे है। जबकि प्रार्थी

राजेन्द्र प्रसाद वर्मा पुत्र नारायण कौम बलाई इस भूमि का रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 868 रकबा 1.90 है0 में राजेन्द्र प्रसाद वर्मा का सम्पूर्ण हिस्सा तथा खसरा नम्बर 968 रकबा 2.02 है0 में राजेन्द्र प्रसाद वर्मा का 20/202 हि0 है।" अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 868 रकबा 1.90 है0 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 968 रकबा 2.02 है0 में से हिस्सा 20/202 की खातेदारी रेस्पो. संख्या 1 राजेन्द्र कुमार वर्मा पि. नारायण लाल वर्मा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। खसरा नम्बर 851 की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 रकबा 1.06 में अमरचन्द पि. बोदू हि. 1/3 ताराचन्द पि. बोदू हि. 1/3 लीलाराम पि. बोदू हि. 1/3 जाति कुम्हार के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.07.2018 हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 22.06.2018 को प्रस्तुत रिपोर्ट में विवादग्रस्त आराजियात पर ताराचन्द व लीलाराम का अतिक्रमण होने के सम्बंध में मौके पर लोगों से पूछताछ करने के आधार पर उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलांट द्वारा कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर काश्त की हुई है, इस सम्बंध में उक्त रिपोर्ट में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अतिक्रमण के सम्बंध में पूर्ण जांच व सीमाज्ञान कराये बिना एवं आवश्यक गवाहों के बयान लिये बिना ही अपना निर्णय दिनांक 23.07.2018 पारित कर दिया। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विवादग्रस्त आराजियात का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर एवं सम्बंधित खातेदारों/हितबद्ध व्यक्तियों की सुनवाई कर नियमानुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/7/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official